

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898**

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheshwer
Case No. 253 2022 Complaint or report made on Name
and address of the complainant श्री. रमेश अश्वनी देव, अश्वनी देव

Name, name of the case and address of accused

श्री. रमेश अश्वनी देव, अश्वनी देव
श्री. अश्वनी देव, अश्वनी देव

The offence complained of and date of its alleged commission-

आपने दिनांक 2/10/22 को रा. 5-20 PM को स्थान
श्री. अश्वनी देव, अश्वनी देव में अपने
आधिकारिक र. 12 अश्वनी देव
स्थान को लगे हुए थे अपने आधिकारिक में रखा।

तब आपने अपने वह अपराध किया जो कि धारा
Section 489A के अंतर्गत दंडनीय
अपराध है कि वह अपने आधिकारिक में रखा।

क्या आप अपने हथियार करते हो अथवा बलियो बलियो हो ?

J. Rawat
(जितेंद्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The police of the concerned area has examination (if any)

अभियुक्त/अभियुक्तों को रखा

अभियुक्त (अश्वनी देव)

J. Rawat

(जितेंद्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The offence provided of any and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of
Sub-section 263 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

:: निर्णय ::

// आज दिनांक 20/10/22 को घोषित //

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रकरण में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 34(1) A Excise Act के तहत अपराध की विशिष्टिया पढ़कर, सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया। अभियुक्त/गण की स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जाना प्रतीत होती है।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए धारा 34(1) A Excise Act के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34(1) A Excise Act के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- एक हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है।
3. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बी.एस.डी. 2510 विहित अवधि पश्चात् नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर उक्त
किया गये

J. Rameel -
20/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

J. Rameel -
20/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.